कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दिनांक 7.5.2025

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2025	FSS ACT	08.05.2025	28.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

3. मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम मैसर्सः बंसल किराना न्यू जैन मार्केट के सामने, जीटी रोड,मनियां, धौलपुर, निवासी धोबी पाडा जीटी रोड़ मनियां,धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 01:30 पीएम बजे मैसर्सः बंसल किराना न्यू जैन मार्केट के सामने, जीटी रोड,मनियां, धौलपुर पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम मैसर्सः बंसल किराना न्यू जैन मार्केट के सामने, जीटी रोड,मनियां, धौलपुर, निवासी धोबी पाडा जीटी रोड़ मनियां,धौलपुर बताया एवं लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 22222065001084 मौके पर दिखाया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ में संलग्न है। निरीक्षण के दौरान दुकान पर लगभग 40 किलोग्राम गुड़ आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त गुड में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है। उक्त 40 किलोग्राम गुड में से 1 किलो गुड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम को रू. 40/– (चालीस रूपये) नगद रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलो गुड को विक्रेता एवं गवाहन को चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूँदें डालकर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3308 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम , पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3308 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भीं हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/19 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1060/एक्ट/2024/16 दिनांक 08.01.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया गुड Substandard प्रकृति का पाया गया है। मूल रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पुनः जांच बाबत् रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र क्रमांक 1596E/FSSA/2024 DATED 06-03-2025 के द्वारा अवगत करवाया गया कि नमूना **सबस्टेण्डर्ड** पाया गया जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त कागजात अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान् अभिहित अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जिन्होने तमाम कागजात पर गौर फरमाकर अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर न्यायनिर्णयन आवेदन न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष पेश करने हेतु आवेदक को अधिकृत किया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में सबस्टेण्डर्ड (Substandard) गुड़ का विक्रय करके विक्रेता मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम मैसर्सः बंसल किराना न्यू जैन मार्केट के सामने जीटी रोड मनियां धौलपुर निवासी धोबी पाडा जीटी रोड मनियां धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश न कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया । बहस मौखिक सुनी गई। खादय सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य गुड़ के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टैण्डर्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खादय पदार्थ में कोई मिलाबट नही कि है फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति नही होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR,(RAJASTHAN).** की Report No. L.S./1060/Act/2024/16 Date:-08-01-2025 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

Opinion- The Sample of **"Gur"** bearing Code No. and Sr. No **D-3308** of Designated Office Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Sub-Standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act, 2006.

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड गुड़ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी **सबस्टेण्डर्ड गुड़** बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थी मोहन प्रकाश पुत्र श्री धनीराम मैसर्सः बंसल किराना न्यू जैन मार्केट क सामने, जीटी रोड़,मनियां,धौलपुर, निवासी धोबी पाड़ा जीटी रोड़ मनियां,धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 25000/–रुपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र/–) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)